डा0 अज़ीज़ कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड़
एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत
विश्वविद्यालय हरिद्वार।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 3050 /जी0एस0/C5-8/शिक्षा/2012
देहरादून दिनांक 24 नवम्बर, 2012

आदेश

मैं, डा0 अज़ीज़ कुरैशी, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डा0 पंकज त्रिम्बक चान्दे, कुलपति, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

डा0 अज़ीज़ कुरैशी
कुलाधिपति।

संख्या 3050 (1)/जी0एस0/C5-8/शिक्षा/2012 दिनांक : 24 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, संस्कृत विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डा0 पंकज त्रिम्बक चान्दे, कुलपति, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, जिला–नागपुर (महाराष्ट्र)।
6. कुलसचिव, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, जिला–नागपुर (महाराष्ट्र)।
7. कार्यकारी कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
8. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
9. ~~कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।~~
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।